<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 21/2021 **दायर दिनांकः 05.07.2021**

उनवान

1. केदारबाई पुत्री रामचरण जाति धाकड़ निवासी नोहल्या।
2. कुलदीप पुत्र रोशनबाई जाति धाकड़ निवासी नोहल्या।
3. गोकुलबाई पुत्री बाबूलाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या।
4. जगन्नाथीबाई पत्नी बाबूलाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या।
5. देवकरण पुत्र रोशनबाई जाति धाकड़ निवासी नोहल्या।
6. नरेशचन्द पुत्र बाबूलाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या।
7. ब्रह्मानन्द पुत्र बाबूलाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या।
8. भगवती पुत्री रामचरण जाति धाकड़ निवासी नोहल्या।
9. भूलीबाई पुत्री बाबूलाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या।
10. देवीशांति पुत्री रामचरण जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

<u>बाबत इन्द्राज दुरूस्ती</u>

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

अप्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 25/08/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल नोहल्या तहसील अटरू में खाता संख्या 26 की कुल 22 किता रकबा 8.66 है0 भूमि तथा ग्राम एवं माल सकतपुर की खाता सं0 81 की कुल 10 किता रकबा 5.00 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। इसी तरह ग्राम धूमेन की खाता संख्या 139 की कुल 1 किता की 0.25 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। ग्राम धूमेन की ही खाता सं0 216 किता 1 रकबा 1.64

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:22 IST
Reason: SelfAttested

है0 भूमि तथा ग्राम धूमेन की ही खाता संख्या 336 की ही कुल 6 किता रकबा 10.93 है0 भूमि तथा ग्राम धूमेन की ही खाता सं0 138 की कुल 6 किता रकबा 2.92 है0 भूमि एवं इसी तरह से ग्राम धूमेन की खाता सं0 137 की कुल 2 किता रकबा 2.03 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिनकी जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थीगण का उक्त सभी भूमियों में हिस्सेनुसार एवं कब्जेनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ग्राम एवं माल नोहल्या की खाता सं0 26 में प्रार्थिया जगन्नाथीबाई पत्नी बाबूलाल के स्थान पर जानकीबाई पत्नी बाबूलाल दर्ज कर दिया है। इसी तरह से ग्राम एवं माल धूमेन की खाता सं0 137, 138, 139 में प्रार्थीया देवीशांति पुत्री रामचरण के स्थान पर सहवन से शांतिदेवी पुत्री रामचरण अंकित कर दिया है। इसी तरह से ग्राम एवं माल धूमेन की खाता सं0 216 एवं 336 में देवीशांति पुत्री रामचरण के स्थान पर शांतिदेवी पुत्री रामचरण दर्ज कर दिया है। तथा प्रार्थीगण जन्म से धाकड़ अंकित होते हुये भी इन दोनों खातों में जाति धाकड के स्थान पर किराड दर्ज कर दिया है। इसी तरह से ग्राम सकतपुर की खाता सं0 181 में देवीशांति पुत्री रामचरण के बजाय शांतिदेवी पुत्री रामचरण दर्ज कर दिया है। इन खातों में प्रार्थीयागण का नाम गलत दर्ज होने से तथा प्रार्थीगण की जाति गलत होने से ऋण लेने में व बेचान करने में कठीनाईयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीया एवं प्रार्थीगण का दस्तावेज में जगन्नार्थीबाई, देवीशांति दर्ज है। तथा जाति धाकड दर्ज है। प्रार्थीगण दस्तावेजात के आधार पर रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र को सुनने का श्रीमान को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब के यहां दुरूस्ती बाबत निवेदन किया तो उनने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी । इसी वजह से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अन्य कारण बवक्त मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम एवं माल घूमेन की खाता सं0 137, 138, 139, 216 व 3[illegible]ार्थीया क्रम 10 का नाम दुरूस्त किया जाकर तथा ग्राम एवं माल नोहल्या की खाता संख्या [illegible]में प्रार्थीया क्रम 4 जगन्नाथीबाई पत्नी बाबूलाल का नाम दुरूस्त किया जाकर तथा खाता सं0 216 व 336 में प्रार्थीगण की जाति दुरूस्त की जाकर तथा ग्राम सकतपुर की खाता सं0 81 में प्रार्थीया क्रम 10 का नाम दुरूस्त किया जाकर शीलादेवी पुत्री रामचरण के स्थान पर देवीशांति पुत्री रामचरण एवं शांतिदेवी पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:22 IST
Reason: SelfAttested

रामचरण के स्थान पर देवीशांति पुत्री रामचरण तथा जानकीबाई पत्नी बाबूलाल के स्थान पर जगन्नाथीबाई पत्नी बाबूलाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तह0 अटरू जिला बारां दर्ज किया जाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी तथा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ग्राम एवं माल नोहल्या की खाता सं0 26 में प्रार्थिया जगन्नाथीबाई पत्नी बाबूलाल के स्थान पर जानकीबाई पत्नी बाबूलाल दर्ज कर दिया है। इसी तरह से ग्राम एवं माल धूमेन की खाता सं0 137, 138, 139 में प्रार्थीया देवीशांति पुत्री रामचरण के स्थान पर सहवन से शांतिदेवी पुत्री रामचरण अंकित कर दिया है। इसी तरह से ग्राम एवं माल धूमेन की खाता सं0 216 एवं 336 में देवीशांति पुत्री रामचरण के स्थान पर शांतिदेवी पुत्री रामचरण दर्ज कर दिया है। तथा प्रार्थीगण जन्म से धाकड़ अंकित होते हुये भी इन दोनों खातों में जाति धाकड के स्थान पर किराड दर्ज कर दिया है। इसी तरह से ग्राम सकतपुर की खाता सं0 181 में देवीशांति पुत्री रामचरण के बजाय शांतिदेवी पुत्री रामचरण दर्ज कर दिया है। इन खातों में प्रार्थीयागण का नाम गलत दर्ज होने से तथा प्रार्थीगण की जाति गलत होने से ऋण लेने में व बेचान करने में कठीनाईयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीया एवं प्रार्थीगण का दस्तावेज में जगन्नार्थीबाई, देवीशांति दर्ज है। तथा जाति धाकड दर्ज है। प्रार्थीगण दस्तावेजात के आधार पर रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम नोहल्या की खाता संख्या 26 किता 22 रकबा 8.66 है0 सहखातेदार के खाते दर्ज है जिसमें प्रार्थी क्रम 4 जगन्नाथी बाई पत्नी बाबूलाल का नाम जानकी बाई पत्नी स्व0 बाबूलाल दर्ज कर दिया गया प्रस्तुत रिकार्ड ग्राम पंचायत सकतपुर अनुसार व [illegible] कार्ड अनुसार सही नाम जगन्नाथी बाई पत्नी बाबूलाल है। इसी प्रकार प्रार्थी क्रम 10 देवी [illegible] पुत्री रामचरण का नाम जमाबंदी ग्राम धुमेन खाता संख्या 137, 138, 139, 216, 336, 74, 73 में शान्ती देवी पुत्री रामचरण दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र आधार कार्ड, में देवी शान्ति दर्ज है। प्रार्थी क्रम 10 देवी शान्ति पुत्री रामचरण का नाम जमाबन्दी सकतपुर की खाता संख्या 81 किता 10 रकबा 5.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:22 IST
Reason: SelfAttested

00 है में शीला देवी पुत्री रामचरण दर्ज है। जबकि प्रस्तुत रिकार्ड ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र व आधार कार्ड अनुसार देवी शान्ति दर्ज है। खाता संख्या 216 व 336 ग्राम धुमेन में प्रार्थीगण 1 ल 10 की जाति धाकड है जबकि जमाबंदी में जाति किराड दर्ज कर दिया गया जबकि प्रस्तुत जमाबंदी संवत 1989 से जून 2009 की नकलों में जाति धाकड़ दर्ज है।

अतः प्रस्तुत रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जमाबंदी ग्राम नोहल्या की खाता संख्या 26 किता 22 रकबा 8.66 है0 में सहखातेदार जानकी बाई पत्नि स्व0 बाबूलाल के स्थान पर सही नाम जगन्नाथी बाई पत्नी बाबूलाल, ग्राम धुमेन की खाता संख्या 73, 74 137, 138, 139, 216, 336, में सहखातेदार शान्ती देवी पुत्री रामचरण के स्थान पर देवी शान्ति पुत्री रामचरण तथा ग्राम सकतपुर की खाता संख्या 81 किता 10 रकबा 5.00 है0 में शीला देवी पुत्री रामचरण के स्थान पर देवी शान्ति पुत्री रामचरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी प्रकार ग्राम धुमेन के खाता संख्या 216 व 336 में प्रार्थीगण 1 ल 10 की जाति किराड दर्ज है, जिसे दुरस्त/शुद्ध करके राजस्व रिकार्ड में धाकड़ दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:22 IST
Reason: SelfAttested